दिनांक 17.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 19/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 स्विफ्ट डिजायर कार**
- **01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांकः 17.02.2025 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजा गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—समीर घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—फहीम 3—इस्माइल 4—वाहिद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 स्विफ्ट डिजायर कार, 01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त समीर के विरूद्ध जनपद हापुड़, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त इस्माइल के विरूद्ध जनपद मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त फहीम के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना विजयनगर पर हत्या का प्रयास आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—समीर निवासी खगोई थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

2–फहीम निवासी प्रताप विहार थाना विजयनगर, गाजियाबाद।

3–इस्माइल निवासी ग्राम ललियाना थाना किठोर जनपद मेरठ।

4–वाहिद निवासी ग्राम ललियाना थाना किठोर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 स्विफ्ट डिजायर कार।

2–01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मुरादनगर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की 75 बैट्री**
- **चोरी के 03 इन्वर्टर**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनांक 16/17.02.2025 की रात्रि थाना मुरादनगर की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पैरीफेरल एक्सप्रेस–वे के किनारे सर्विस रोड की जगह कनौजा जंगल से 05 अभियुक्तों 1–कासिफ 2–कामिल 3–सचिन 4–सलमान 5–राहुल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 75 बैट्री, चोरी के 03 इन्वर्टर, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.02.2025 को थाना मुरादनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री, इन्वर्टर उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कासिफ निवासी गली नं0 13 मलिक नगर थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

2–कामिल निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

3–सचिन निवासी कृष्णा कालोनी थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

4–सलमान निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

5–राहुल निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 75 बैट्री।

2–चोरी के 03 इन्वर्टर।

3–घटना में प्रयुक्त कार।

जनपद बस्ती/थाना गौर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17.02.2025 को थाना गौर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेहदिया रामदत्त के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सलमान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बस्ती के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गौर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी सुभाष नगर थाना गौर जनपद बस्ती।

बरामदगी

1—नगद रूपये।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

एएनटीएफ/ऑपरेशनल यूनिट मेरठ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 08 कुन्तल 01 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कैंटर आदि बरामद**

दिनांक 17.02.2025 को एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट मेरठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हापुड़ बुलन्दशहर मार्ग थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ से 02 अभियुक्तों 1—धर्मवीर उर्फ बिन्दर 2—सफेद सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 08 कुन्तल 01 किलोग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 कैंटर आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—धर्मवीर उर्फ बिन्दर निवासी खानपुर कलां थाना गोहाना सदर जनपद सोनीपत हरियाणा।

2—सफेद सिंह निवासी ग्राम भटगांव थाना सदर सोनीपत जनपद सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी

1—लगभग 04 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 08 कुन्तल 01 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 01 कैंटर आदि।

जनपद बरेली/थाना कैण्ट

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलोग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 16/17.02.2025 को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कृष्णा कॉलोनी ट्यूबवेल के पास से 03 अभियुक्तों 1–जसवीर 2–सचिन 3–नूरेन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जसवीर निवासी शान्ति विहार थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

2–सचिन निवासी भरतौल थाना कैण्ट जनपद बरेली।

3–नूरेन निवासी कस्बा व थाना विशारतगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–01 किलोग्राम अवैध चरस।

- **जनपद गोरखपुर/थाना कैम्पियरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजेन्द्र को सश्रम आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना राजेसुल्तानपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ताज मोहम्मद उर्फ भोला को सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना टड़ियावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना टड़ियावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कल्लू को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना लाइनपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना लाइनपार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 306/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सूर्यकान्त 2–पोप सिंह 3–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना चौरी–चौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना चौरी–चौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 तस्कर 11.00 कि0ग्रा0 चरस (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 55 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 17–02–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को लगभग 11.00 किलो ग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 55 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1– राजेश कुमार शाह पुत्र परशुराम शाह निवासी ग्राम दुमका, थाना जामा बाजार, जनपद सिवान बिहार।

बरामदगी–

1– चरस लगभग 11.00 कि0ग्रा0 (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 50 लाख रूपये)

2– 01 अदद मोबाइल

3– 400/रू0 नगद

4– 01 अदद आधार कार्ड

5– 01 अदद टिकट (छपरा से बड़ोदरा)

6– 01 अदद पासपोर्ट

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

मुजफ्फरपुर–सूरत एक्सप्रेस–19054 के कोच नं0 बी–6, सीट नं0– 30, प्लेटफार्म नं0–05 रेलवे स्टेशन चारबाग जनपद लखनऊ, दिनांक 17–02–2025 समय करीब 09. 40 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 17–02–2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बिहार से सूरत जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहा है, जिसके पास भारी मात्रा मे अवैध मादक पदार्थ है। इस सूचना पर निरीक्षक प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव व मु0आ0 विजेन्द्र राय, प्रभात कुमार, नीरज कुमार, आरक्षी अमित यादव की टीम द्वारा द्वारा एन0सी0बी0 टीम को साथ लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नं0–05 पर मुजफ्फरपुर–सूरत एक्सप्रेस के कोच नं0 बी–6 से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करता है। उसके गॉव के बगल का रहने वाला महमूद छपरा रेलवे स्टेशन पर इससे मिलता है। जो ट्राली बैग (चरस भरी हुई) इसको देता है और यह बताता है कि बड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मिलेगा जिसे यह बैग देना है। महमूद बड़ोदरा वाले व्यक्ति को इसका हुलिया (जैकेट, कपड़ा) एवं स्टेशन पर कोई जगह चिन्हित करके बताया जाता है। इस काम के लिए इसको प्रति चक्कर 50 हजार रूपये मिलता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध एन0सी0बी0 लखनऊ में केस संख्या–04/2025 धारा–8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

———————